<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>
<u>जिलाः– सुपौल।</u>

उपस्थितिः– अनंत सिंह
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

<u>निर्णय की तिथिः– 14 मई, 2026</u>

<u>सत्र वाद संख्या–226 / 2023</u>
सी0आई0एस0 संख्या–226 / 2023

- प्राथमिकी निर्मली थाना कांड संख्या–92 / 2022, दिनांक 30.04.2022

सूचक	राज्य की ओर सेः– परमेश्वर सिंह	
राज्य की ओर से	श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक	
अभियुक्त	**1.**	प्रवीण साह, उम्र 24 वर्ष, पे0 भागवत प्रसाद साह
	2.	रामप्रवेश कुमार, उम्र 26 वर्ष, पे0 दुखी यादव
	3.	रामबालक यादव उर्फ लालबाबू यादव, उम्र 26 वर्ष, पे0 उपेन्द्र प्रसाद यादव
	4.	राजा कुमार, उम्र 23 वर्ष, पे0 देवन यादव
	5.	सुभाष कुमार यादव, उम्र 23 वर्ष, पे0 राम अवतार यादव
	6.	पिन्टु कुमार, उम्र 24 वर्ष, पे0 राज कुमार यादव
		ए–1 से ए–6 तक सभी का साकिन बेला सिंगार मोती वार्ड नं0–7 थाना निर्मली, जिला सुपौल
बचाव पक्ष की ओर से	श्री संजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता	

FORM-B	
➢ घटना की तिथि	28.04.2022
➢ प्राथमिकी की तिथि	30.04.2022
➢ आरोप पत्र की तिथि	28.07.2022
➢ आरोप गठन की तिथि	03.10.2023
➢ साक्ष्य बंद होने की तिथि	21.02.2026
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	14.05.2026
➢ निर्णय की तिथि	14.05.2026
➢ Date of the Sentencing Order, if any	Not Applicable

अभियुक्त का विवरण							
अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detection Undergone during Trial for Purpose of Section 428 Cr.P.C
ए–1	प्रवीण साह	16.07.22	16.09.22	395 / 120(B), 411 / 120(B), 412 / 120(B), 414 / 120(B) एवं 149 भा0द0वि0	Acquitted	N/A	N/A
ए–2	रामप्रवेश कुमार	05.07.22	16.09.22				
ए–3	रामबालक यादव उर्फ लालबाबू यादव	03.05.22	24.07.22				
ए–4	राजा कुमार	26.07.22	16.09.22				
ए–5	सुभाष कुमार यादव	03.05.22	24.07.22				
ए–6	पिन्टु कुमार	03.05.22	24.07.22				

::निर्णय::

1. प्रस्तुत वाद के अभियुक्त आवेदकगण प्रवीण साह, रामप्रवेश कुमार, रामबालक यादव उर्फ लालबाबू यादव, राजा कुमार, सुभाष कुमार यादव एवं पिन्टु कुमार के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा–395 / 120(B), 411 / 120(B), 412 / 120(B), 414 / 120(B) एवं 149 अंतर्गत आरोप का विचारण किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद सूचक परमेश्वर सिंह के फर्द बयान पर आधारित है तथा सूचक ने अपने फर्द बयान में अभिकथन किया है, कि चार अज्ञात अपरार्धी के विरूद्ध धारा 392 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत निर्मली थाना कांड सं0 92 / 2022 दर्ज किया गया। जिसमें सूचक का कहना है कि दिनांक 28.04.2022 को अपने चचेरा भाई–अनिल कुमार सिंह की शादी की बारात में अपने चाचा–रवि सिंह की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस, जिसका निबंधन सं0 BR50V2422 इंजन नं0 HA11EDMHL39701 एवं चेचिस नं0 MBLHAW126MHL13337 है, से अपने ग्रामीण कैलाश सिंह के साथ एक ही मोटरसाइकिल से अपने गॉव से मधुबनी जिला के अंधरामठ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम– मेनही के लिए समय करीब 10.00 बजे रात्रि में अपने गॉव से बारात हेतु निकले। बराती जाने के क्रम में दिनांक 28.04.2022 को समय करीब 11.30 बजे रात्रि में जैसे ही कोशी गाईड बॉध से निर्मली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–बेला एवं दिघिया के बीच सुनसान जगह स्थित कब्रिस्तान के पास

पहुॅचे तो देखे कि उस कब्रिस्तान के बगल में स्थित गाईड बॉध सड़क पर दो अज्ञात व्यक्ति एक ब्लू रंग की अपाची मोटरसाईकिल लगाकर वहीं गाईड बॉध सड़क पर खड़े थे जैसे ही सूचक अपनी उस मोटरसाईकिल से उनलोगों के पास पहुॅचे तो वे अपनी अपाची मोटरसाइकिल से रास्ता घेर लिए उसी क्रम में दो अन्य अज्ञात व्यक्ति भी एक अन्य मोटरसाईकिल से से वहां पहूॅच गये और उक्त चारों ने मिलकर उन्हें को घेर लिया तथा थ्रीनट का भय दिखाकर सूचक के पहने जिंस फुलपैंट के दाहिने पॉकेट से रेडमी कंम्पनी का एक मोबाईल, जिसका IMEI Number क्रमशः 868898041988815 एवं 868898041988823 था तथा जिसमें संपर्क नम्बर 8676863994 का सीम लगा हुआ था, ले लिया। साथ ही फुलपैन्ट के पीछेवाला पॉकेट से सूचक का पर्स निकाल लिया जिसमें आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, MILLAT COLLEGE BIRPUR (SUPAUL) का IDENTITY CARD एवं 1200 रूपये था। उसके बाद वे लोग सूचक के ग्रामीण कैलाश सिंह के फुलपैंट के पॉकेट से Itel कंपनी का एक मोबाईल, जिसमें संपर्क नं0 9572441214 का सीम लगा था, ले लिए एवं फुलपैंट के पॉकेट से 2700 रूपया निकला लिया। उसके बाद उक्त अज्ञात चारों अपराधकर्मी के द्वारा उनलोगों का मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंडर प्लस, जिसका निबंधन सं0 BR50V2422 है, भी छीन लिया। घटना क्रम में चारो अपराधकर्मी अपने–अपने चेहरा को गमछा से ढके हुये था, वे सभी आपस में हिन्दी में बात कर रहे थे। लूट की घटना को अंजाम देने बाद उक्त चारों अपराधकर्मी लूटे गये समानों के साथ मोटरसाईकिल से काफी तेजी से उस गाईड बॉध सड़क से ही दक्षिण दिशा की ओर भाग गये। भागने के क्रम में देखे की उन अपराधकर्मियों के द्वारा उपयोग किये गये दो मोटरसाईकिल में से एक मोटरसाईकिल, जो ब्लू रंग का था, के नंबर प्लेट पर दो अंक बड़ा था, शेष अक्षर छोटा था, बड़ा अंक 86 अंकित था। दूसरे मोटरसाईकिल का नंबर प्लेट पर अंकित नंबर को नहीं देख सका। उक्त चारो अपराधकर्मियो का चेहरा गमछा से ढ़का होने के कारण वे किसी को पहचान नहीं सके।

3. सूचक के उपरोक्त कथन के आधार पर निर्मली थाना कांड संख्या– 92/2022 दिनांक 30/04/2022 संस्थित किया गया। तत्पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अप्राथमिक अभियुक्त आवेदक पिन्टु कुमार, राजा कुमार, रामप्रवेश्ज्ञ यादव उर्फ राम प्रवेश कुमार, प्रवीण कुमार साह उर्फ प्रवीण कुमार, रामबालक यादव उर्फ लालबाबू यादव एवं सुभाष कुमार के विरूद्व धारा–395, 411, 412, 414, 120बी भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा– 395, 411, 412, 414, 120बी के अंतर्गत दिनांक 14/09/2022 को अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विद्वान निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 26/04/2023 द्वारा वाद का दौरा सुपुर्द किया गया तथा अभिलेख दिनांक 26/05/2023 को प्राप्त हुआ। अंत में अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त आवेदक प्रवीण साह, रामप्रवेश कुमार, रामबालक यादव उर्फ लालबाबू यादव, राजा कुमार, सुभाष कुमार यादव एवं पिन्टु कुमार के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 395/120(B), 411/120(B), 412/120(B), 414/120(B) एवं 149 के अंतर्गत दिनांक 03.10.2023 को आरोप का गठन किया गया है।

5. उक्त अभियुक्त का बयान दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 14/05/2026 को दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

6. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारण का सामने कर रहे उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे इस प्रकार साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं जिससे कि उन्हें इस वाद में दोषी साबित किया जा सके ?

मंतव्य

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचित सहित कुल 2 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1.	परमेश्वर सिंह उर्फ परमेश्वर कुमार (सूचक)	P.W.-1
2.	कैलाश कुमार	P.W.-2

8. इस वाद में अभियोजन की ओर से फर्द बयान पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श– 01 के रूप में चिन्हित कराया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से इस वाद में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया कि इस वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है और न ही उक्त घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी ठोस विधिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने की प्रार्थना की गयी।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत सूचिका एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से प्रतीत होगा कि अभियोजन अभियुक्तं के विरूद्ध अपना मामला को साबित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त वाद में दोषी करार करने की प्रार्थना की गयी।

12. प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में कुल 02 साक्षियों को प्रस्तुत कराया गया है, जिसमें **अभियोजन साक्षी सं0–01. परमेश्वर सिंह उर्फ परमेश्वर कुमार सूचक सह पीड़ित है,** इन्होने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे प्रस्तुत मुकदमा उसके द्वारा किया गया है तथा यह घटना दिनांक 28/04/2022 की है, 10 बजे रात्रि समय की है, वे अपने मोटर साईकिल से कैलाश कुमार के साथ मेनही के लिये निकला था तो कोशी बॉध बेलही, बेलागंज के पास पहुॅचा तो ब्लू रंग के अपाचे से 2 व्यक्ति खड़ा था, वे लोग उसका गाड़ी रोक दिया तथा उसके रूकने के बाद 2 अज्ञात व्यक्ति और आ गया। उसके बाद उसे तथा कैलाश को लप्पड़, थप्पड़ से मारपीट किया और उसके पास 1100 रूपया तथा कैलाश के पास 2700 रूपया था एवं मोटर साईकिल, मोबाईल छीनकर भाग गया। एक दिन बाद वे

पुलिस को टंकित आवेदन दिया था तथा आवेदन को पढ़कर समझ लिया और सही पाकर अपना हस्ताक्षर बनाया तथा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 के रूप में चिन्हित कराया है। पुलिस के द्वारा बाद में उसकी मोटर साईकिल बरामद किया था और मोबाईल भी बरामद किया उसके बाद वह थाना से जाकर अपना मोबाईल और मोटर साईकिल लिया था। न्यायालय में मुदालह उपस्थित नहीं है, उसे देखकर भी नहीं पहचान सकता है, क्योंकि वह गमछा से अपना मुँह ढ़का हुआ था।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है वे पुलिस को उसने किसी को पहचानने एवं जानने की बात नहीं बताया था तथा पुलिस भी उससे किसी की पहचान नहीं कराई थी। अपराध करने वाले किसी का रूप, रंग, कद नहीं बता सकता है।

अभियोजन साक्षी सं0–02. कैलाश कुमार है जो घटना के समय सूचक के साथ में था, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि घटना दिनांक 28/04/2022 की है, समय 10 बजे रात्रि समय की है। परमेश्वर सिंह के साथ वे मेनही जा रहा था तो दिघिया, कब्रीस्तान के पास पहुँचा तो बाईक को आगे से घेर लिया तथा घेरने के बाद एक बाईक से दो आदमी आ गया और मोबाईल, पैसा 2700/– रूपया छीन लिया तथा मोटर साईकिल भी छीनकर भाग गया। उसके बाद परमेश्वर के द्वारा मुकदमा करने हेतु पुलिस को टंकित आवेदन दिया गया। मुदालह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, उसे पहचान नहीं सकते है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है, कि घटना के दिन जो उससे उसका मोबाईल, रूपया छीना था, उसे अभी भी नहीं पहचान सकता है। गॉव में भी रहता है तथा गॉव से बाहर भी रहता है।

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के तथ्यपरक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचक सहित कुल 02 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, लेकिन उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्व नहीं होती है, क्योंकि प्रस्तुत वाद के सूचक अभियोजन साक्षी सं0–01. परमेश्वर सिंह उर्फ परमेश्वर कुमार है इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में उसके साथ हुई घटना का आंशिक समर्थन करते हुये कहा है कि उसके साथ जिनके द्वारा घटना कारित किया गया था, उसे देखकर वह नहीं पहचान सकता है, क्योंकि मुदालह गमछा से अपना मुँह ढ़का हुआ था तथा इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस को भी उसने उसके साथ घटना कारित करने वाले व्यक्ति को पहचानने एवं जानने की बात नहीं बताया है, पुलिस भी उससे किसी मुदालह की पहचान नहीं कराई थी। इसी तरह अभियोजन साक्षी सं0–02. कैलाश कुमार जो सूचक के साथ घटना के समय उपस्थित था, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में घटना एवं प्राथमिकी का आंशिक समर्थन करते हुये कहा कि वह मुदालह को पहचान नहीं सकता है तथा अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि घटना के दिन जो उससे उसका मोबाईल, रूपया छीना था उसे अभी भी वह पहचान नहीं सकता है। अभियोजन की ओर उपरोक्त साक्षियों के अलावे अन्य किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि अभियोजन अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इस तरह अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष मामले

को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में विफल रहा है, क्योंकि प्रस्तुत वाद के साक्षियों ने घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वाद में विचारण का सामना कर रहें उक्त अभियुक्त के विरूद्व सूचक साथ हुई घटना में शामिल होने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिसे अभियोजन की घटना साबित हो सके। अतः इस न्यायालय के मतानुसार अभियोजन इस वाद के अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को सभी युक्ति–युक्त रूप से संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप :–

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त आवेदकगण प्रवीण साह, रामप्रवेश कुमार, रामबालक यादव उर्फ लालबाबू यादव, राजा कुमार सुभाष कुमार यादव, पिन्टु कुमार को भा0द0वि0 की धारा– 395/120(B), 411/120(B), 412/120(B), 414/120(B) एवं 149 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पिन्टु कुमार जो कि काराधीन है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है, कि काराधीन अभियुक्त पिन्टु कुमार की मुक्ति हेतु कार्यालय मुक्ति आदेश निर्गत करें तथा काराधीक्षक मंडल कारा, सुपौल को यह निर्देश दिया जाता है, कि उक्त अभियुक्त यदि किसी अन्य वाद में वांछित नहीं हो तो उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज यथा दिनांक 14/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–14.05.2026

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–14.05.2026